एडलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कं.लि.

Edelweiss
Ideas create, values protect

सीआईएन : U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : ईडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098
+9122408860 90/66203149

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंदानी/कैपिटल प्रा.लि के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना की तिथि/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/ कों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक को तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समय वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली- के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा ऋण अनुबंध के अनुसार उस पर ब्याज के लिये अदानी कैपिटल प्राईवेट लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं	ऋण खाता सं./एस्सेल ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह ऋणधारक/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सांकेतिक/भौतिक कब्जा की तिथि
1	106MSM001021049 + NOIBSL000032813/ LNNSP06716-170000755	नव दुर्गा सोनटरी स्टोर/दीपक शर्मा	29.1.2022/रु. 3307787.4 (500757.00+ 280703040) (रु. तैंतीस लाख सात हजार सात सौ सत्तासी तथा पैसे चालिस मात्र) तिथि 29.01.2022 को	भौतिक कब्जा 28 जून, 23 को

गिरवी सम्पत्ति का पता : खसरा नं. 322, ग्राम नेव सराय, नई दिल्ली में सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 173, माप 948 वर्ग यार्डस में भूतल (आरएचएस साइड) पर फ्लैट नं. 1, संगत अपार्टमेन्ट, माप 117 वर्ग यार्ड्स (कथित भाग) की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व : रोड, पश्चिम: सर्विस लेन, उत्तर : (अन्य सम्पति, दक्षिण : अन्य सम्पति

स्थान: उत्तर प्रदेश — कृते, एडलवीज एसेट रीकन्स्ट्रशन कम्पनी लि.
तिथि : 2.7.2023 — हस्ता:/-
अनुवाद में त्रुटि या विंसगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। — प्राधिकृत अधिकारी

साइनोव स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में),

CIN: U15520DL2008PTC176272

के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत समझौता अथवा व्यवस्था की योजना जमा करने के लिये फाइनांसियल एक्सप्रैस एवं जनसत्ता में प्रकाशित आमंत्रण तिथि 14.06.2023 के अंतर्गत समय के विस्तार की सूचना

कृपया ध्यान रहे कि योजना जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई, 2023 से बढ़ाकर 29 जुलाई, 2023 कर दी गई है। कृपया योजना प्रक्रिया संबंधित अपेक्षा/दस्तावेज अथवा अग्रिम स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी परिसमापक से प्राप्त करें :

स्थान : दिल्ली — हस्ता/-
तिथि : 30.6.2023 — **अशोक कुमार गुप्ता**
साइनोव स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक
IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00010/2016-201
पत्रा का पता : 304, डीआर चैम्बर्स, 12/56, डीबी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5,
ईमेल: circ.sainovspirits@gmail.com,
पंजी. ईमेल: cmaashokgupt@gmail.com,
पंजी. पता: एलडी-46, पीतमपुरा, दिल्ली-34

COURT NOTICE

(U/O 5 Rule 20 CPC)

In The Court Of Sh. Shaminder Pal Singh Civil Judge (Junior Division), Ludhiana

Amarjit Singh
Vs.
Gurpreet Singh

CNR NO: PBLD02-004791-2022
Next Date: 18-07-2023
Publication Issued To: Gurpreet Singh Father: Late Shri Babu Singh Flat No C-302 , Shubam Apartment Sector 22, Plot-13 Dwarka New Delhi Pin 110077

In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 18-07-2023 at 10 :00 a.m. for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
Civil Judge (Junior Division) Ludhiana

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि
10527116 & TCHIN0399000100082376	स्वर्गीय श्री सुनील बिश्वकर्मा पुत्र श्री बिष्णु बिस्वकर्मा - उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (कर्जदार के रूप में) के माध्यम से और श्रीमती माया बिश्वकर्मा पत्नी श्री बिष्णु बिश्वकर्मा (सह-कर्जकर्ता), श्रीमती स्वास्तिका बिश्वकर्मा पत्नी श्री सुनील बिश्वकर्मा के माध्यम से (कानूनी उत्तराधिकारी), श्री वर्धन बिश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सुनील बिश्वकर्मा (कानूनी उत्तराधिकारी)	रु. 2026995/- ऋण खाता सं. 10527116 के तहत तथा रु. 281417/- ऋण खाता सं. TCHIN0399000100082376 के तहत अर्थात कुल रु. 2308412/- (रुपये तेईस लाख आठ हजार चार सौ बारह मात्र)	26.06.2023

प्रतिभूत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: संपत्ति संख्या 17 के निर्मित ऊपरी भूतल (सामने की ओर) का समस्त भाग, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 43.4772 वर्ग मीटर (52 वर्ग गज), खसरा संख्या 299 में निर्मित, ग्राम नसीरपुर की राजस्व संपदा में स्थित, इलाका सागरपुर पश्चिम, नई दिल्ली - 110046, बिक्री विलेख में लिखी गई सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व - गली 8' चौड़ी, पश्चिम - सड़क 19' चौड़ी, उत्तर - प्लॉट नंबर 17 का हिस्सा, दक्षिण - अन्य की संपत्ति।

TCHHF0399000100067169 & TCHHF0350000100007590	श्री कालू राम ढींगरा (कर्जदार के रूप में) और श्री आकाश ढींगरा, श्रीमती कविता ढींगरा और ढींगरा एसोसिएट्स इसके प्रोपराइटर के माध्यम से (सह-कर्जदार के रूप में)	रु. 26,32,860/- ऋण खाता TCHHF0399000100067169 के तहत तथा रु. 1,97,87,252/- ऋण खाता सं. TCHHF0350000100007590 के तहत कुल रु. 2,24,20,112/- (रुपये दो करोड़ चौबीस लाख बीस हजार एक सौ बारह मात्र)	29.06.2023

प्रतिभूत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: 155.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय मकान नंबर 92 के पूरे निर्मित दूसरे तल (छत के अधिकार के बिना) का समस्त भाग, नीचे की भूमि में फ्रीहोल्ड आनुपातिक अधिकार के साथ, शक्ति विहार, पीतमपुरा, रश्मि अपार्टमेंट के पास, सरस्वती विहार, उत्तर - पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली - 110001 में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। मकान नंबर 92 की सीमा इस प्रकार है: पूर्व - मकान नंबर 93, पश्चिम - मकान नंबर 91, उत्तर - सर्विस लेन, दक्षिण-रोड।

TCHHL0399000100002728 & TCHIN0362000100002746	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (कर्जदार) तथा श्रीमती श्वेता उर्फ श्वेता सिंह	रु. 4,04,60,497/- ऋण अनुबंध TCHHL0399000100002728 के तहत तथा रु. 8,81,547/- अनुबंध सं. TCHIN0362000100002746 के तहत, कुल रु. 4,13,42,044/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार चौवालीस मात्र)	29-06-2023

प्रतिभूत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय संपत्ति प्लॉट नंबर 20 के उत्तरी तरफ निर्मित दूसरी मंजिल पर फ्रंट साइड का हिस्सा का समस्त भाग, माप 398.275 वर्ग गज कुल क्षेत्रफल में से 796.55 वर्ग गज, ब्लॉक ए, नारायणा विहार, नई दिल्ली में स्थित, बिक्री विलेख के तहत सभी सुविधाओं के साथ। प्लॉट नंबर 20 की सीमा इस प्रकार है: - पूर्व - प्लॉट नंबर 21, पश्चिम - प्लॉट नंबर 19, उत्तर - सड़क, दक्षिण - सड़क।

9656509	श्रीमती अपराजिता उर्फ अपराजिता सतपथी (कर्जदार के रूप में) और श्री हेमन्त सतपथी उर्फ हेमन्ता सतपथी (सह-कर्जदार के रूप में)	रु. 16,84,238/- (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार दो सौ अड़तीस मात्र)	29.06.2023

प्रतिभूत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय मकान नंबर 3038/एलआईजी-II/जीएफ, भूतल, 26 वर्ग मीटर का समस्त भाग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर- 55, बल्लभगढ़, फरीदाबाद -121004 (हरियाणा), बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ।

तिथि : 02.07.2023 — ह./-अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे. — कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL, ALLAHABAD

Ministry of Finance, Government of India
147-A-58/1, Jawahar lal Nehru Road, Tagore Town, Allahabad

Ref.: No.- Regular Appeal No.- 113/2018 — **Date: 09.06.2023**

Summons to the parties through publication under Section 18 of SARFAESI Act 2002 (as amended upto date)

In
Regular Appeal No.- 113 of 2018
Punjab National Bank ... Appellant
V/s.
Mohammad Usman --- Respondent(s)

To,
Mohammad Usman, R/o: Village & Post: Ghosipur, Police Station: Khardauna District: Meerut -Respondent/ (Borrower)

NOTICE

Take Notice that the Appellant Bank has filed an appeal against the order Dt.: 21.05.2018 arising out of Sarfaesi Application No.- 404 of 2014 In-Re Mohammad Usman V/s. Punjab National Bank by the Debts Recovery Tribunal Lucknow.

The above mentioned Regular Appeal No.- 113 of 2018 has been listed for appearance and further proceedings before the Appellate Tribunal at Allahabad on Dt.: 26.09.2023 at 10.30 AM.

You may appear before this Appellate Tribunal on the date either in person or through legal practitioner duly appointed by you for this purpose.

Take notice that in default of your appearance on the next date fixed, the appeal will be heard ex-parte.

Registrar
Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-15 (1) (क) / 16 (3) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

वाद सं. : ओ.ए./1279/2020

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 18073

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड ऑयल मिल्स

सेवा में,
(1) मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड ऑयल मिल्स
डी/डब्ल्यू/एस/ओ- श्री रवि मित्तल
मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड ऑयल मिल्स, एक पार्टनरशिप फर्म सी/ओ एनएच-2, निकट रेलवे क्रॉसिंग, होडल पलवल, इसके पार्टनर्स के माध्यम से पैन नंबर ABAFM8328C पलवल, हरियाणा **अन्य पता** : ग्राम गोरोटा, तहसील होडल, जिला पलवल
(2) श्री रवि मित्तल पुत्र श्री प्रकाश चंद मित्तल पार्टनर मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड ऑयल मिल्स **निवासी** अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा
(3) सपना मित्तल डब्ल्यू/डी/ओ नीरज मित्तल पार्टनर मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड ऑयल मिल्स **निवासी** अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा
(4) नीरज मित्तल पुत्र श्री प्रकाश चंद मित्तल निवासी अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा, चूंकि स्वर्गवासी अतः इसके एलआरएस के माध्यम से
4(I) सपना मित्तल डब्ल्यू/डी/ओ नीरज मित्तल पार्टनर मैसर्स मित्तल कॉटन ऐंड एएमपी ; ऑयल मिल्स
निवासी अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा। 4(II) चिराग पुत्र नीरज मित्तल निवासी अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा। 4(III) आरती पुत्री नीरज मित्तल निवासी अग्रवाल कालोनी, होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा

सम्मन

जबकि, **ओए/1279/2020** माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **29-05-2023** को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 1,15,97,522/- की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :-

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
v) व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 15-07-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30-05-2023 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

equitas

(पूर्व में इक्विटस फाइनेंस लिमिटेड के रूप में विदित)
पंजीकृत कार्यालय: नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चतुर्थ तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु-600 002
044.42995000, 044.42995050

अधिग्रहण सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मै. इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें अर्थात् सूचना में निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित कुल बकाया राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि निम्न वर्णित उधारकर्तागण अनुबंधित समय के अंदर निम्न उल्लेखित राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्नांकित एक राशि तथा इस पर भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु मै. इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।"

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सांकेतिक अधिग्रहण लिये जाने की तिथि
1.	शाखा : चित्तौड़गढ़ एल.नं.: SECITOR0240262 उधारकर्ता : श्री गोपाल आचार्य सह-उधारकर्ता : श्रीमती लाडी बाई	आवेदक गोपालाचार्य : अकृषकीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो आवासीय संपत्ति के रूप में, अरजी नं. 847 मकान 227, ग्राम-कांति ग्राम पंचायत, कांति तहसील, गंगरार जिला, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थित हैं, उक्त संपत्ति के संदर्भ के तहत संपत्ति का क्षेत्राधिमापन क्षेत्रफल 1044 वर्ग फुट है, जिसमें उस पर खड़ी सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचनाएं शामिल हैं तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर- कॉमन रोड, दक्षिण- नंदराम आचार्य, पूर्व- देव जी गुर्जर, पश्चिम- कॉमन रोड। मापन:- 1044 वर्ग फुट, जो गंगरार के उप-पंजीकरण जिले और चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के अंदर स्थित है।	29-03-2023 और रु. 2,64,817/-	24.06.2023
2.	शाखा : राजसमंद एल.नं.: SERJMND0385705 उधारकर्ता : श्री हितेश कुमार छीतरमल शाह सह-उधारकर्ता : श्रीमती अनीता देवी	अकृषकीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो आवासीय संपत्ति के रूप में मकान नंबर 101, जाट मोहल्ला, ग्राम कुरज, ग्राम पंचायत, कुरज पंचायत, समिति रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जनपद राजसमंद (राज.) 313328 में स्थित है (क्षेत्रफल 1221 वर्ग फुट) जिसमें उस पर विद्यमान सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचनायें शामिल हैं तथा जो इस प्रकार परिसीमित है: उत्तर- प्रहलाद जी लवटी का मकान, दक्षिण- आम मार्ग, भेरू जी देवरा, शिवजी नियति, वर्डी, पूर्व- भंवर लाल जी का मकान, पश्चिम- आम मार्ग। मापन: 1221 वर्ग फुट, जो रेलमगरा के उप-पंजीकरण जिले और राजसमंद के पंजीकरण जिले के अंदर स्थित है।	02-03-2023 और रु. 5,39,919/-	26.06.2023

दिनांक : 02-07-2023, स्थान : राजस्थान — **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

दक्षिण रेलवे

(निर्माण संगठन)

ई-निविदा सूचना सं. SG-CNMTP-23-2-CHSM-KALK
तिथि 27.6.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता, निर्माण तथा मेट्रोपॉलिटन परिवहन परियोजना, दक्षिण रेलवे, चेन्नई-31 द्वारा निम्न कार्यों के लिये ऑन लाइन निविदा आमंत्रित है:

"चिन्ना सलेम तथा कल्लाकुरिची के बीच नये लाइन के निर्माण के सिलसिले में सलेम मंडल में चिन्नासलेम तथा कल्लाकुरिची स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉकिंग सिग्नलिंग व्यवस्था (इन्डोर एवं आउटडोर दोनों) का प्रावधान।"

अनुमानित नगदी मूल्य: रु. 2625.78 लाख; बोली प्रतिभूति: रु. 14,62,900/- पूर्णता अवधि: 6 माह; निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 20.7.2023 के 14.00 बजे।

विस्तृत विवरणों के लिये वेबसाइट, पता: www.ireps.gov.in देखें।

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

रोहटा शाखा
पीएस गार्डन के सामने, ग्वालियर रोड, रोहटा, आगरा (यू.पी.)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **28.06.2023** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

क्र0 सं0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	ऋणकर्ता/बंधककर्ता: श्री संदीप रावत पुत्र देवेन्द्र रावत निवासी मकान संख्या 152सी ग्राम रोहटा आगरा और दूसरा पता दुकान संख्या 21 श्री राम कॉम्प्लेक्स, खसरा संख्या 27, मौजा सेवला जाट, ग्वालियर रोड, आगरा।	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित वाणिज्यिक दुकान संख्या 21, श्रीराम कॉम्प्लेक्स, खसरा नंबर 27, मौजा सेवला जाट, तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 17.77 वर्ग. मीटर, श्री संदीप रावत के नाम, **सीमायें**:-उत्तर: दुकान नं 22, दक्षिण: दुकान नं 20, पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: सामान्य मार्ग।	12.09.2022 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 17,46,476.45 दिनांक 12.09.2022 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	28.06.2023	रू 16,10,383.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क
2.	ऋणकर्ता/ बंधककर्ता: श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सत्यभान सिंह और श्री सत्यभान सिंह पुत्र श्री राम सिंह दोनों निवासी प्लॉट नंबर 151 सेक्टर बी, न्यू सुरक्षा विहार, रोहटा, आगरा (यूपी)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित आवासीय मकान प्लॉट नंबर 151, सेक्टर बी, खसरा नंबर 449, न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी, मौजा रोहटा आगरा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सत्यभान सिंह के नाम, **सीमायें**:- उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: अन्य का प्लॉट, पूर्व: सड़क पर 25 फीट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट।	09.05.2022 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 9,93,671.58 दिनांक 09.05.2022 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	28.06.2023	रू 8,11,664.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 01.07.2023 — **प्राधिकृत अधिकारी**

दक्षिण रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. एसए-ई2-2023-24-डब्ल्यू1

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक/विद्युत/सलेम मंडल, सलेम-5 द्वारा नीचे वर्णित कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है। विस्तृत एनआईटी, योग्यता मानदंड, बोली दस्तावेज, निविदा जमा करने के लिये वेबसाइट पोर्टल www.ireps.gov.in देखें/डाउनलोड करें।

ई-निविदा सूचना सं., तिथि तथा कार्य का नाम: 5) एसए-ई2-2023-24-डब्ल्यू1 तिथि 27.6.2023 दक्षिण रेलवे: एसए मंडल में दक्षिण रेलवे में भूमिगत केवल द्वारा वर्तमान ओवरहेड पावर लाइन क्रॉसिंग का सुधार (22केवी-3 नग)-शेष कार्य-विद्युत व्यवस्था-Reg.

अनुमानित लागत: रु. 37,42,506/-
ईएमडी: रु. 74,900/-
पूर्णता अवधि: 90 दिन
सभी कार्यों के लिए बंद होने की तिथि एवं समय: 19.7.2023 के 15.00 बजे।
सभी कार्यों के लिये बोली खुलने की तिथि एवं समय: 19.7.2023 के 15.00 बजे।

सभी संवर्धन, शुद्धिपत्र, समय-विस्तार, स्पष्टीकरण आदि केवल वेबसाइट पोर्टल www.ireps.gov.in पर अपलोड की जाएगी तथा अलग से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी। स्वयं को अद्यतन बनाये रखने के लिये बोलीदाता वेबसाइट देखते रहें।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002